**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 1823**

**शुक्रवार, 6 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा नियमों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें**

**1823. श्री अखिलेश प्रसाद सिंहः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को भारतीय बाज़ार में मौजूद कुछ ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनियों के विरुद्ध नियमों के उल्लंघन और अनैतिक व्यवसाय में शामिल होने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भी ऐसी ई-कॉमर्स कंपनियों के विरुद्ध जांच के आदेश दिए हैं, यदि हां, तो इस जांच की वर्तमान स्थिति क्या है?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क):** इस विभाग में ऐसे आरोप वाले अभ्‍यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफार्म्स अत्‍यधिक कम मूल्य करने में लगे हुए हैं और अत्यधिक छूट प्रदान कर रहे हैं। ई-कॉमर्स क्षेत्र संबंधी मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति, अन्‍य के साथ-साथ, यह निर्दिष्ट करती है कि ई-कॉमर्स मार्केटप्‍लेस, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं या सेवाओं के बिक्री मूल्य को प्रभावित नहीं करेंगे और बाज़ार में स्तर को बनाए रखेंगे। विदेशी निवेश वाली ई-कॉमर्स कंपनियां केवल एक मार्केटप्लेस मॉडल का संचालन कर सकती हैं और ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री आधारित मॉडल पर प्रतिबंध हैं। इसी को स्पष्ट करने के लिए, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्‍यापार विभाग (डीपीआईआईटी)ने, 29 मार्च, 2016 को वर्ष 2016 के प्रेस नोट 3 द्वारा ई-कॉमर्स में एफडीआई के लिए दिशानिर्देश जारी किए। तथापि, ई-कॉमर्स कंपनियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे कि ये मार्केटप्लेस वर्ष 2016 के प्रेस नोट 3 में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन कर रहे थे। पहले से मौजूद नीति फ्रेमवर्क को स्पष्ट करने के लिए, ई-कॉमर्स कंपनियों के संबंध में एफडीआई नीति संबंधी और स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए डीपीआईआईटी द्वारा 26 दिसंबर 2018 को वर्ष 2018 का प्रेस नोट 2 जारी किया गया था। वर्ष 2018 के अद्यतन प्रेस नोट 2 के माध्यम से, सरकार ने नीति की मूल भावना के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नीति के प्रावधानों को दोहराया है। तथापि, यदि किसी प्रकार के उल्लंघन की रिपोर्ट की जाती है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाए।

**(ख):** जी हां, इस आयोग ने फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और अमेज़ॉन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध दायर एक मामले (मामला संख्‍या 40/2019) में, प्रतिस्‍पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 26 (1) के अंतर्गत पारित दिनांक 13 जनवरी 2020 के आदेश द्वारा महानिदेशक को इसकी जांच करने और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। प्रतिस्‍पर्धा आयोग द्वारा पारित उक्त आदेश को अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने रिट याचिका संख्‍या 3363/2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक के समक्ष चुनौती दी गई थी और माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.02.2020 के आदेश द्वारा आयोग के इस आदेश पर रोक लगा दी है।

\*\*\*\*\*